प्रेस विज्ञप्ति
30.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 26.03.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के विरुद्ध लगभग **271.48 करोड़ रुपये** की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एक सार्वजनिक सूचीबद्ध इकाई) के विरुद्ध धोखाधड़ी से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में की गई है। अस्थायी रूप से कुर्क की गई अचल संपत्तियां महाराष्ट्र के पनवेल और शाहपुर तालुकों में स्थित भू-खण्ड हैं।

मुंबई पुलिस द्वारा राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों की अनधिकृत बिक्री और फर्जी दस्तावेज बनाकर मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोप में बीएनएस 2023 (आईपीसी के समकक्ष) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा, निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना, कंपनी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को कम कीमत पर अपने से जुड़े प्रॉक्सी संस्थाओं और व्यक्तियों को अनधिकृत रूप से बेचने और हस्तांतरण के माध्यम से मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के धन और परिसंपत्तियों के गबन/हेरफेर में शामिल थे।

वह भूमि खरीद के लिए बढ़ा-चढ़ाकर कीमतें तय करने हेतु समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को गढ़ने में भी शामिल था, जिसके बाद वह विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ी हुई राशि को नकदी के रूप में निकाल लेता था और इस प्रकार कंपनी के धन का दुरुपयोग करता था। जांच से पता चला कि राजेंद्र लोढ़ा ने अपने संबंधित व्यक्तियों, सहयोगियों और संस्थाओं के साथ मिलकर धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति अर्जित की, जिससे मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड को अनुचित रूप से नुकसान हुआ।

इससे पहले, जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 12.11.2025 को मुंबई क्षेत्र में 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 88 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/फ्रीज की गई थी। अब तक इस मामले में कुल जब्ती/कुर्की की राशि लगभग 359.48 करोड़ रुपये है। हाल ही में, ईडी ने 12.02.2026 को राजेंद्र लोढ़ा को भी गिरफ्तार किया है और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।